बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 /आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:–

(क) यह नियमावली "बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025" कही जायेगी।

(ख) इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ:– इस नियमावली में,जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है आनन्द विवाह अधिनियम, 1909।

(ख) "विवाह" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावाधानान्तर्गत सिख समुदाय में प्रचलित आनन्द कारज रीति से सम्पन्न विवाह।

(ग) "विवाह निबंधक" से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं0– 16) की धारा–6 अन्तर्गत नियुक्त अवर निबंधक।

(घ) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं0– 16) की धारा–8 अन्तर्गत नियुक्त सहायक निबंधक महानिरीक्षक।

(च) निबंधन महानिरीक्षक से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं0– 16) की धारा–3 अन्तर्गत नियुक्त निबंधन महानिरीक्षक।

3. विवाह निबंधक का क्षेत्राधिकार:– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक अवर निबंधक एवं प्रत्येक जिला अवर निबंधक आनन्द कारज विवाह के निबंधक के अधिकार का प्रयोग एवं इसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4. विवाह का निबंधन:–

(1) आनन्द कारज विवाह के पक्षकारों द्वारा नियम–08 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कर जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक के कार्यालय में इस उद्देश्य के लिए रखे गए आनन्द कारज विवाह पंजी में विवाह से संबंधित विवरण दर्ज कराए जा सकते हैं।

(2) विवाह के निबंधन के लिए आवेदन इस नियम की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र "क" में उस जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक को किया जायेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह अनुष्ठापित हुआ हो या जिसके क्षेत्राधिकार में पति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) विवाह निबंधन के आवेदन के साथ पक्षकार अपना आवासीय प्रमाण–पत्र, उम्र प्रमाण–पत्र एवं आनन्द कारज विवाह के संपन्न होने से संबंधित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप संलग्न करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति को आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद दी जाएगी, जो टंकित या कम्प्यूटर जनित होगा–

बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 के तहत्............... (पति) तथा .... (पत्नी) के विवाह निबंधन के लिए प्रस्तुत आवेदन क्रमांक ..../वर्ष......... प्राप्त किया।

दिनांक:– ....

(हस्ताक्षर)
(विवाह निबंधक)

5. <u>आनन्द कारज विवाह पंजी</u>:–

(1) आनन्द कारज विवाह पंजी विभागीय साफ्टवेयर में तथा एक सौ पन्नों का बंधित जिल्द में भी होगा, जिसके पृष्ठ लगातार क्रमांकित होंगे, जिसे जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा संधारित किया जायेगा।

(2) जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा प्रत्येक विवाह पंजी के आमुख पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर से पृष्ठों की संख्या को प्रमाणित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर, जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक वर्ष के दौरान निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित करेगा और जब भी ऐसी पंजी प्रविष्टियों से पूर्ण हो जाएगी तो जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा उस विशिष्ट पंजी में निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित की जायेगी।

(4) जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा प्रयुक्त पंजियाँ क्रमांकित होंगी और कार्यालय के कैटलॉग पंजी में प्रविष्ट की जायेगी।

6. <u>आवेदन दाखिल करना</u>:– नियम–4 के तहत जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक को किया गया प्रत्येक आवेदन पंजी में संधारित किया जायेगा।

7. **आवेदन का पृष्ठांकनः**–

(1) प्रत्येक आवेदन जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी, जिसके पीछे उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित पृष्ठांकित होगाः–

आवेदन मेरे द्वारा दिनांक .... को प्राप्त किया गया और इसे बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 के अन्तर्गत संधारित आनन्द कारज विवाह पंजी के क्रम संख्या .... पृष्ठ .... जिल्द .... पर पृष्ठांकित किया गया।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(विवाह के निबंधक)

(2) जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र–च में आवेदन के 30 दिनों के भीतर विवाह निबंधन का प्रमाण पत्र 3 (तीन) प्रतियों में जारी करेगा। इसकी प्रथम प्रति पत्नी को, द्वितीय प्रति पति को दी जायेगी एवं तृतीय प्रति कार्यालय स्तर पर संधारित की जायेगी।

8. **शुल्क की अनुसूचीः**–

(1) इस नियमावली के अनुसार शुल्क का भुगतान निम्न दरों से किया जायेगाः–

(i) विवाह निबंधन हेतु आवेदन शुल्क रू 100.00 (एक सौ रूपये) मात्र देय होगा।

(ii) विवाह निबंधन शुल्क रू 200.00 (दो सौ रूपये) मात्र देय होगा।

(2) विवाह पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु रू0 100.00 (एक सौ रूपये) मात्र शुल्क देय होगा।

(3) खोज अथवा निरीक्षण के लिए शुल्क होगाः–

(i) यदि प्रविष्टि चालू वर्ष से संबंधित है, तो रू0 50.00 (पच्चास रूपये) मात्र।

(ii) यदि प्रविष्टि विगत वर्ष से संबंधित है, तो रू0 100.00 (एक सौ रूपये) मात्र।

9. **रसीद का प्रारूपः**– इस नियमों के तहत भुगतान की गई फीस की पावती के लिए इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र "ख" में एक रसीद तैयार की जाएगी।

10. **शुल्क पंजीः**–जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र "ग" में एक शुल्क पंजी संधारित करेगा। नियमों के तहत प्राप्त सभी शुल्कों को प्रतिदिन शुल्क–पंजी में लेखा में लाया जाएगा तथा जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक दिन के कुल शुल्क संग्रह की शुद्धता की पुष्टि करने के प्रमाण में उस पर हस्ताक्षर करेगा।

11. निबंधक की शक्तियाँः–

(1) यदि नियम 4 के तहत जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक को आनन्द कारज विवाह के निबंधन से संबंधित प्राप्त आवेदन अधूरा या दोषपूर्ण है या विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है अथवा विवाह पंजी से सत्यापित प्रतिलिपि के लिए आवेदन नियम 08 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ नहीं है, तो जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक विवाह के पक्षकारों से अपेक्षा करेगा कि वे दोष को दूर करे या उक्त शुल्क का भुगतान आवेदन की तिथि पर, जैसा भी मामला हो, स्वयं पक्षकार करे। ऐसा नहीं करने पर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र ''घ'' में दर्ज किया जायेगा।

(2) यदि जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक ऐसा आवेदन प्राप्त करता है जो उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है, वह ऐसे आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस कर देगा एवं इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र –'घ' में अंकित करेगा।

(3) **विवाह के निबंधन का तरीकाः** इन नियमों के तहत विवाह का निबंधन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

(4) **पक्षकारों को विवाह के निबंधन का प्रमाण–पत्र जारी करनाः** जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक विवाह का निबंधन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, विवाह का निबंधन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विवाह प्रमाणपत्र इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र ''च'' में 03 (तीन) प्रतियों में सृजित करेगा, जिसकी प्रथम प्रति पत्नी को, द्वितीय प्रति पति को और तीसरी प्रति कार्यालय में संधारित की जायेगी। विवाह प्रमाण–पत्र में पति–पत्नी एवं दो गवाहों का हस्ताक्षर (या अनपढ़ के मामले में बायें अंगूठे का निशान) लिया जायेगा।

12. निबंधन अस्वीकृति के विरूद्ध अपीलः–

यदि विवाह निबंधक को विवाह निबंधन के समय यह विश्वास करने का यथेष्ट प्रमाण हो कि आनन्द कारज विवाह के सम्पन्न होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अथवा विवाह के दोनों पक्षकार सिख समुदाय के न हो अथवा पक्षकार विक्षिप्त है या दिवालिया है अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो विवाह का निबंधन अस्वीकार कर देगा। विवाह निबंधक के इस निर्णय के विरूद्ध अपील सहायक निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष, जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह निबंधक का कार्यालय है, अपीलवाद दायर करेगा।

13. अधीक्षणः–जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग निबंधन महानिरीक्षक के सामान्य अधीक्षण में करेंगे।

14. प्रपत्रः–निबंधन के लिए आवेदन के विहित प्रपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर संग्रहित किए जाएंगे।

15. पंजियों एवं अभिलेखों का परिरक्षण:– (1) आनन्द कारज विवाह पंजी और नियम 16 में निर्दिष्ट अनुक्रमणी, उनके पूर्ण होने के 6 (छः) वर्षो के उपरांत जिला मुख्यालय के अभिलेखागार में स्थायी रूप से संरक्षित किए जाएंगे।

(2) अन्य अभिलेख एवं कागजात यथा रसीद बही, शुल्क बही, पंजी से सत्यापित प्रति के लिए आवेदन इत्यादि 03(तीन) वर्ष पूर्ण हो जाने पर जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा विनष्ट कर दिये जायेंगे।

16. विवाह–पंजी की प्रविष्टियों का अनुक्रमण:– आनन्द कारज विवाह पंजी की सभी प्रविष्टियाँ साफ्टवेयर में सूचीबद्ध की जायेगी तथा सूची दो प्रपत्रों में रखी जायेगी यथा एक पति के नाम से एवं दूसरे पत्नी के नाम से और ऐसी सूची किसी भी व्यक्ति द्वारा नियम 8 (4) में उल्लेखित राशि के भुगतान के उपरान्त निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अजय यादव)
सचिव

ज्ञापांकः–10 / वि0–आनन्द–125 / 2016...313... पटना, दिनांक ...13.01.26...

प्रतिलिपिः– उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सचिव

अनुसूची
प्रपत्र–क
(नियम 4(2) देखे)
आनन्द कारज विवाह के निबंधन के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

विवाह के निबंधक,
कार्यालय ....
जिला ....
बिहार।

महाशय,

आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 के प्रावधानों के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरी पक्षों के मध्य आनन्द कारज विवाह सम्पन्न हुआ है और हम आनन्द कारज विवाह पंजी में अपने विवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण निबंधित करने का अनुरोध करते हैं:–

विवाह से संबंधित विवरण

1. विवाह की तिथि :–.............................
2. आनन्द कारज रीति से संपन्न विवाह का प्रमाण–पत्र:– ....
3. पति संबंधी विवरण:–
   (क) पूरा नाम:–
   (ख) पेशा:–
   (ग) पिता का नामः–
   (घ) माता का नामः–
   (च) अधिवास की अवधि (अस्थायी निवास की स्थिति में):–
   (छ) जन्म तिथि एवं उम्र:– ....
   (ज) अस्थायी पता :– ....
   (झ) स्थायी पता:– ....

दिनांकः–........................ (पति का हस्ताक्षर)

4. पत्नी संबंधी विवरण:–
   (क) पूरा नाम :–
   (ख) पेशा:–
   (ग) पिता का नामः–
   (घ) माता का नामः–
   (च) अधिवास की अवधि (अस्थायी निवास की स्थिति में):–
   (छ) जन्म तिथि एवं उम्र:– ....
   (ज) अस्थायी पता :– ....
   (झ) स्थायी पता:– ....

दिनांकः–........................ (पत्नी का हस्ताक्षर)

5. **घोषणा**

हम सत्य निष्ठा से घोषणा करते हैं कि इसमें एवं सम्पन्न विवाह से संबद्ध विवरण जो आवेदन पत्र में अंकित है, हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है।

....	....
(पति का हस्ताक्षर)	**(पत्नी का हस्ताक्षर)**
....	....
(पति का नाम)	**(पत्नी का नाम)**
दिनांकः–	दिनांकः– ....

6. **गवाह–1**

(क) पूरा नाम :– ....

(ख) पिता का नामः– ....

(ग) माता का नामः– ....

(घ) पताः– ....

हस्ताक्षर ....

दिनांक :– ....

गवाह–2

(क) पूरा नामः– ....

(ख) पिता का नाम :– ....

(ग) माता का नामः– ....

(घ) पताः– ....

हस्ताक्षर ....

दिनांक :– ....

अनूसूची
प्रपत्र–ख
(देखें नियम–09)
शुल्क पावती
(दो प्रतियों में)

(1) क्रम संख्या :–

(2) प्राप्ति की तिथि :–

(3) जिनसे शुल्क प्राप्त हुआ है:–

(4) किस निमित्त शुल्क प्राप्त हुआ है :–

(5) शुल्कों की राशि :–

स्थान ....

विवाह निबंधक का हस्ताक्षर

दिनांकः– ....

कार्यालय ....
जिला ....
बिहार।

अनुसूची
प्रपत्र–ग
(देखें नियम–10)
शुल्क पंजी

रसीद संख्या एवं तिथि	वसूल की गयी राशि का विवरण	राशि (रुपये में)	टोकन संख्या / क्रम संख्या	कोषागार में जमा राशि	चालान सं0 एवं तिथि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूची

प्रपत्र–घ

(देखे नियम–11)

वापस किये गये या अस्वीकृत आवेदन की पंजी

क्रमसंख्या	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं आवेदन प्रस्तुत करन वाले का नाम	विवाह के पक्षकार एवं विवाह की तिथि	टोकन संख्या/ क्रम संख्या	अस्वीकृत या वापस	अस्वीकृत या वापसी का कारण
1	2	3		4	5

बिहार सरकार
विवाह निबंधक का कार्यालय
प्रपत्र–च
(बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 के उप नियम–7 (2) के अनुसार)

निबंधन का प्रमाण–पत्र

निबंधन संख्या एवं वर्ष– .... दिनांक– ....

बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025 के नियम– 4 के उप नियम–2 के अधीन घोषणा करने वाले पक्षों के मध्य विवाह के निबंधन संबंधी उद्धरण निम्न प्रकार हैं–

पति का विवरण	पत्नी का विवरण
नामः–	नामः–
पिता का नामः–	पिता का नामः–
माता का नाम :–	माता का नाम :–
जन्म तिथि :–	जन्म तिथि :–
संयुक्त छायाचित्र	संयुक्त छायाचित्र
आधार / वैध पहचान पत्र संख्याः–	आधार / वैध पहचान पत्र संख्याः–
वर्त्तमान पताः–	वर्त्तमान पताः–
स्थायी पता :–	स्थायी पता :–
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

गवाह

1 नामः–
पूरा पताः–
हस्ताक्षर :–

2 नामः–
पूरा पताः–
हस्ताक्षर :–

विवाह निबंधक की विवरणी
नामः–
कार्यालय का पताः–

विवाह निबंधक
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

परिशिष्ट–I

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. पति–पत्नी एवं गवाहों के आधार कार्ड की छाया प्रति। यदि आधार कार्ड प्राप्त नहीं है, तो आधार नामांकन संख्या या पहचान प्रमाण–पत्र जैसे पैन / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई प्रमाण–पत्र जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो।
2. पति–पत्नी की जन्म तिथि का स्वप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य (जन्म प्रमाण–पत्र / मैट्रिक प्रमाण–पत्र / क्रम सं0 1 में वर्णित अन्य कोई प्रमाण–पत्र)।
3. पति–पत्नी के स्वप्रमाणित आवासीय साक्ष्य जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो।
4. स्वप्रमाणित शादी का निमंत्रण पत्र, यदि उपलब्ध हो।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आनन्द कारज रीति से सम्पन्न विवाह का प्रमाण–पत्र।
6. स्वप्रमाणित घोषणा पत्रः–
    (क) विवाह की तिथि और स्थानः–
    (ख) जन्म तिथिः–
    (ग) विवाह के समय वैवाहिक स्थितिः–
    (घ) आनन्द विवाह अधिनियम की धारा–5 के अनुसार पति–पत्नी एक–दूसरे के रक्त संबंधी हैं या नहींः–
    (च) नागरिकताः–
    (छ) हम सिख धर्म से संबंधित हैं या नहींः–

....	....
पति का हस्ताक्षर	पत्नी का हस्ताक्षर
....	....
पति का नाम	पत्नी का नाम
दिनांकः–	दिनांकः– ....

7. आवेदन में पति–पत्नी का पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो (2 प्रति में) और साथ ही एक सादे कागज पर उनकी चिपकाई गई अनुष्ठानिक फोटो, यदि उपलब्ध हो तो।
8. तलाक के मामले में तलाक की डिक्री / आदेश की सत्यापित प्रति और विधवा / विधुर के मामले मे पति / पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF PROHIBITION, EXCISE & REGISTRATION

(REGISTRATION)

NOTIFICATION

File No -10/vi-Anand-125/2016...313.../In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Anand Marriage (amendment) Act, 2012, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules-

1. **Short title, extent and commencement:-**
   (1) These rules may be called the "Bihar Anand Karaj Marriage Registration Rules, 2025".
   (2) Its jurisdiction shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) These rules shall come into effect from the date of issue of notification.

2. **Definitions:-** In these rules, unless there is anything repugnant in subject or context:-
   (a) "The Act" means the Anand Marriage Act, 1909.
   (b) "Marriage" means Anand Karaj Marriage prevalent among Sikh community under the provisions of the Act..
   (c) "Registrar of Marriages" means the Sub Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908),
   (d) "Appellate Authority" means the Assistant Inspector General appointed under Section-8 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908),
   (e) "Inspector General of Registration" Means the Inspector General of Registration appointed under Section-3 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908).

3. **Jurisdiction of Registrar of Marriages:-** For the purpose of these Rules, every Sub-registrar and every District Sub-Registrar shall deemed to be the Registrar of Marriages within his respective jurisdiction to exercise its powers and discharge its duties.

4. **Registration of Marriage:-**
   (1) The parties to the Anand Karaj Marriage can get the details of their marriage entered in Marriage Register specified for this purpose on payment of fees as specified in Rule-8 in the office of the District Sub-Registrar or Sub-Registrar.

(2) An application for registration of a marriage shall be made in From-"A" appended to the schedule to this rule to the District Sub-Registrar or Sub-Registrar within whose jurisdiction the marriage was solemnized or within whose jurisdiction the husband resides permanently or temporarily.

(3) The parties shall attach their residential certificate, age certificate, and the proof of Anand Karaj Marriage performed along with marriage application form. The person submitting the application shall be given a receipt in the following form, which shall be typed or computer generated-

Received application from ....(Husband) and ....(wife) for registration under the Bihar Anand Marriage Registration Rules, 2025. having Sl. No........ Year ....

Date ....

(Signature)
(Marriage Registrar)

5. Anand Karaj Marriage Register:-

(1) The Anand Karaj Marriage Register shall be maintained in the departmental software and also in a bound volume of one hundred pages. The pages of which will be numbered continuously and will be maintained by the District Sub-Registrar or Sub-Registrar.

(2) The District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall certify the number of pages of each marriage register by affixing his signature on the front page.

(3) At the end of each calendar year, the District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall verify the number of applications registered during the year and whenever such register is complete with entries, the number of applications registered in that particular register will be endorsed by the District Sub-Registrar or Sub-Registrar on the register.

(4) The registers used by the District Sub Registrar or Sub-Registrar shall be numbered and entered in the catalogue register of the office.

6. Filing of application:- Every application made to the District Sub Registrar or Sub-Registrar under Rule- 4 shall be maintained by him in a register.

7. **Endorsement of application:-**

(1) Every application shall be endorsed by the District Sub-Registrar or Sub-Registrar, on the reverse of which shall be endorsed the following duly signed by him

The application was received on date .... by me and it was registered on page number .... of 2025 ...... in Volume no. ..... the Anand Karaj Marriage Register maintained under the Bihar Anand Karaj Marriage Registration Rules, 2025.

Date ....

(Signature)
(Registrar of Marriages)

(2) The District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall issue a certificate of Marriage registration in triplicate within 30 days of application in Form-F of the schedule appended to the Rules. First copy will be given to wife, Second copy to the husband and the third copy will be maintained in the office.

8. **Schedule of Fees:-**

(1) The fee under these rules shall be paid at the following rates:-

(i) Fee payable for the application of registration of marriage- **Rs. 100/- (One hundred rupees) Only.**

(ii) Fee payable for the registration of marriage- **Rs. 200/- (Two hundred rupees) Only.**

(2) Fee for issuing Certified copy from Anand Karaj Marriage Register **Rs 100/- (One hundred rupees) Only.**

(3) Fee payable for Search/Inspection:-

(i) for Current year entry-**Rs.50/- (Fifty rupees) Only.**

(ii) for previous year entry-**Rs.100/- (One hundred rupees) Only.**

9. **Form of receipt:-** A receipt in **Form- B** of the Schedule appended to these rules shall be prepared for acknowledging the fees paid under these rules.

10. **Fee Register: -** The District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall maintain a fee register in **Form "C"** of the Schedule appended to these rules. All fees received under these rules shall be accounted daily in the Fee Register and the District Sub- Registrar or Sub-Registrar shall sign it to confirm the correctness of the total fee collection for the day.

11. Powers of the Registrar:-

(1) If an application for registration of Anand Karaj Marriage received by the District Sub-Registrar or Sub-Registrar under Rule 4 is incomplete or proper fee is not paid or defective in any respect or if the application for a certified copy from the Marriage Register is not accompanied by the fees specified in Rule-8, the District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall require the parties to the marriage to remove the defect or pay the said fee, as the case may be, on the date of application. Failing which the application shall be rejected and entry shall be made in **Form-D** of the schedule appended to these rules.

(2) If the District Sub-Registrar or Sub-Registrar receivies an application which is not within his jurisdiction, he shall return such application for presentation before the competent authority and shall enter it in **Form- D** of the schedule appended to these rules.

(3) **Manner of Registration of Marriage:-** The registration of marriage under these Rules shall be done through electronic means.

(4) **Issue of Certificate of Registration of Marriage to the Parties:-** The District Sub-Registrar or the Sub-Registrar shall after completing the formalities of registration of marriage, register the marriage, generate Marriage Certificate in 03(three) copies through electronic means in Form-F of the Schedule annexed to these Rules. The first copy will be issued to the wife, second copy to the husband and the third copy will be maintained as office copy and obtain the signatures (or left thumb impression in case of illiterate) of both husband, wife and two witnesses.

12. Appeal against refusal of Registration :- If the registrar of marriages has sufficient evidence to believe that proof of Anand Karaj Marriage performed is not produced or both the parties to the Marriage are not Sikh or that the party is of unsound mind or is insolvent or the marriage is declared void by the Court of Law, the registration of the marriage shall be refused. Appeal against this decision of the Marriage Registrar shall be filed before the Assistant Inspector General of Registration within whose jurisdiction the office of the Marriage Registrar is situated.

13. Superintendence:-The District Sub-Registrar or Sub-Registrar shall discharge their duties and exercise their powers under the general superintendence of the Inspector General of Registration.

14. Forms:- The Prescribed forms for application for registration will be collected from the official website.

15. Preservation of Registers and records:-

(1) The Anand Karaj Marriage Register and the register of Index specified in rule 16 will be permanently preserved in the record office of the District headquarters after 6(six) years of their completion.

(2) Other records and papers such as receipt books, fee book, applications for certified copy from the Register, etc., shall be destroyed by the District Sub-Registrar or Sub-Registrar after completion of 3 (three) Years.

16. Indexing of marriage:- All the entries in the Anand Marriage Register shall be entered in the software and the Index shall be maintained in two forms, one in the name of Husband and the other in the name of the Wife and such Index shall be available for inspection by any person after payment of the amount mentioned in rule 8(4).

By order of the Governor of Bihar,

(Ajay Yadav)
Secretary to the Government

SCHEDULE
Form –A
{See Rule 4(2)}
Application for Registration of Anand Karaj Marriage

To,

The Registrar of Marriage,

Office ....,

District ....,

Bihar.

Sir,

In accordance with the provisions of the Anand Marriage Act, 1909, we the undersigned parties have solemnized Anand Karaj Marriage and we request to register the following details regarding our marriage in the Anand Karaj Marriage Register.

Marriage related details.-

1. Date of Marriage ....
2. Certificate of marriage solemnized as per Anand Karaj tradition ....
3. Husband related details.
   - (a) Full name................
   - (b) Profession................
   - (c) Father's Name ....
   - (d) Mother's Name ....
   - (f) Period of residence (in case of temporary residence):- ....
   - (g) Date of Birth and Age: ....
   - (h) Temporary Address: ....
   - (i) Permanent Address: ....

Dated....................................... (Signature of Husband)

4. Wife related details.
   - (a) Full name................
   - (b) Profession................
   - (c) Father's Name ....
   - (d) Mother's Name ....
   - (f) Period of residence (in case of temporary residence):- ....
   - (g) Date of Birth and Age: ....
   - (h) Temporary Address: ....
   - (i) Permanent Address: ....

Dated....................................... (Signature of Wife)

5. Declaration

We solemnly declare that the particulars given herein and in the application form relating to the marriage solemnized are true to the best of our knowledge.

....	....
(Signature of Husband)	(Signature of Wife)
....	....
(Name of Husband)	(Name of Wife)
Dated..	Dated..

6. **Witness-1**

(a) Full Name

(b) Father's Name

(c) Mother's Name

(d) Address

(signature)

Dated............................

Witness-2

(a) Full Name

(b) Father's Name

(c) Mother's Name

(d) Address

(signature)

Dated ....

SCHEDULE

Form-B

[See Rule-9]

Fee Receipt
(In Duplicate)

1. Serial Number:-
2. Date of receipt:-
3. From whom the fee is received:-
4. For what purpose the fee is received:-
5. Amount of fees:-

Signature of Marriage Registrar

Dist………………………………… Bihar

Place __________

Date ____________

SCHEDULE

Form -C

(See Rule-10)

Fee Register

Receipt No. and date	Details of amount Collected	Amount (in Rs.)	Token no./Serial no.	Amount deposited in treasury	Challan No. and date	Signature and date of the Registrar of Marriages	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

SCHEDULE

Form-D

[See Rule11]

Register of Returned or Rejected Applications

Serial No.	Date of Submission of Application and Name of Applicant	Parties to the marriage and Date of marriage	Token no./Serial no.	Returned or refused	Reasons for rejection or return
1	2	3	4	5	6

Government of Bihar
Marriage registrar's Office
FORM-F
(As per sub-Rule-7(2) of the Bihar Anand Marriage Registration Rules 2025)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No and Year.............................. **Date:- ....**

The extract regarding REGISTRATION OF MARRIAGE between the parties making the declaration under sub Rule- 2 of Rule- 4 of the Bihar Anand Karaj Marriage Registration Rules, 2025 is as follows:.

Details of Husband	**Details of Wife**
Name:-	**Name:-**
Father's Name :-	**Father's Name :-**
Mother's Name:-	**Mother's Name:-**
Joint Photo	Joint Photo
Date of Birth:-	**Date of Birth:-**
Aadhaar /Valid IdNo :-	**Aadhaar /Valid Id No :-**
Current Address:-	**Current Address:-**
Permanent Address: -	**Permanent Address: -**
Signature or Thump Impression	**Signature or Thump Impression**

WITNESSES

1 **Name:-**
Full Address:-
Signature:-

2 **Name:-**
Full Address:-
Signature:-

Marriage Registrar's Details

Name:-

Office Address:-

Marriage Registrar
(Signature and Seal)

Appendix-I

List of Supporting Documents

1. Photocopies of the Aadhaar cards of the spouses and witnesses. If Aadhaar cards are not available, provide Aadhaar enrollment number or identity proof such as PAN/Passport/Driving License/Voter ID Card or any other certificate issued by a competent authority.

2. Self-attested documentary evidence of Husband and Wife's date of birth (Birth Certificate/Matriculation Certificate/any other certificate mentioned in Serial No. 1).

3. Self-attested residential proof of the spouses issued by a competent authority.

4. Self-attested wedding invitation card, if available.

5. Certificate of solemnization of Anand Karaj Marriage issued by appropriate authority.

6. Self-attested declaration:-

   (a) Date and place of marriage:

   (b) Date of birth:

   (c) Marital status at the time of marriage:

   (d) Whether the husband and wife are related by blood as per Section 5 of the Anand Marriage Act:

   (f) Citizenship:

   (g) Whether they belong to the Sikh religion:

....	....
Signature of Husband	Signature of Wife
....	....
Name of Husband	Name of Wife
Dated............................	Dated ....

7. The application must include self-attested passport-size photographs of the husband and wife (in two copies), as well as a ceremonial photograph pasted on a plain paper, if available.
8. In case of divorce, a certified copy of the divorce decree/order and in case of a widow/widower, the death certificate of the husband/wife.

ज्ञापांकः– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 पटना, दिनांक 13.1.26

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800017 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

13.1.26

(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांकः– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 पटना, दिनांक 13.1.26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.26

(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांकः– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 पटना, दिनांक 13.1.26

प्रतिलिपिः– श्री मनीष कुमार, स्थायी समुपदेशक, बिहार सरकार, चेम्बर 20ए, लॉयर्स ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली–110001 (ई–मेल manishkumar.advocate@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.26

(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांकः– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 पटना, दिनांक 13.1.26

प्रतिलिपिः– Sri R.B Jayakrishnan, Additional Legislative Counsel, Minsitry of Law and Justice Legislative Department, Government of India (e-mail- ld.leg3-dole@gov.in)

13.1.26

(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांकः– 10/वि0–आनन्द–125/2016 313 पटना, दिनांक 13.1.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/ मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/अवर निबंधक (सभी/कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंध (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

13.1.26

(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक